न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला चूरू (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– श्री श्योराम वर्मा, आर.ए.एस.

वाद सं.– 147/21

रामदेवाराम पुत्र हडमानाराम जाति जाट निवासी सूतोद तहसील लक्ष्मणगढ जिला सीकर

वादी

बनाम

1. सायरकंवर पत्नि भंवरसिंह जाति राजपुत निवासी ढढेरू भांभूवान तहसील बीदासर जिला चूरू
2. असमानसिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपुत निवासी ढढेरू भांभूवान तहसील बीदासर जिला चूरू
3. मूलसिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपुत निवासी ढढेरू भांभूवान तहसील बीदासर जिला चूरू
4. गोपालकंवर पत्नि चन्द्रसिंह जाति राजपुत निवासी ढढेरू भांभूवान तहसील बीदासर जिला चूरू
5. कृष्णसिंह पुत्र चन्द्रसिंह जाति राजपुत निवासी ढढेरू भांभूवान तहसील बीदासर जिला चूरू
6. महावीरसिंह पुत्र चन्द्रसिंह जाति राजपुत निवासी ढढेरू भांभूवान तहसील बीदासर जिला चूरू
7. प्रेमकंवर पुत्री चन्द्रसिंह जाति राजपुत निवासी ढढेरू भांभूवान तहसील बीदासर जिला चूरू
8. प्रभुसिंह पुत्र जोरावरसिंह उर्फ जोरसिंह जाति राजपुत निवासी ढढेरू भांभूवान तहसील बीदासर
9. राजेन्द्रसिंह पुत्र जोरावरसिंह उर्फ जोरसिंह जाति राजपुत निवासी ढढेरू भांभूवान तहसील बीदासर जिला चूरू
10. विजेन्द्रसिंह पुत्र जोरावरसिंह उर्फ जोरसिंह जाति राजपुत निवासी ढढेरू भांभूवान तहसील बीदासर जिला चूरू
11. सुरेन्द्रसिंह पुत्र जोरावरसिंह उर्फ जोरसिंह जाति राजपुत निवासी ढढेरू भांभूवान तहसील बीदासर
12. नारायणराम पुत्र मूलाराम जाति सुथार निवासी ढढेरू भांभूवान तहसील बीदासर जिला चूरू
13. लिछमणराम पुत्र सोहनराम जाति सुथार निवासी ढढेरू भांभूवान तहसील बीदासर जिला चूरू
14. राजस्थान सरकार जरीये तहसीलदार बीदासर जिला चूरू

प्रतिवादीगण

राजस्व वाद संयुक्त खातेदारी भूमि का विभाजन व चिर निषेधाज्ञा की डिग्री प्राप्ति बाबत।

उपस्थित :– 1. श्री मनोज गोदारा एडवोकेट– वकील वादी
2. पेरोकार राज

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला-चूरू सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

Scanned by CamScanner

—: निर्णय :— दिनांकः— 01/04/22

प्रस्तुत वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि वादी एंव प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 13 तेरह के संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त उपयोग उपभोग का खेत खसरा संख्या 636 छः सौ छतीस तादादी 3.5157 तीन दशमलव पांच एक पांच सात हेक्टेयर भूमि वाके रोही ग्राम ढढेरू भांभूवान तहसील बीदासर जिला चूरू में स्थित है जिसमें वादी की 21/139 ईक्कीस बट्टा एक सौ उनचालीस हिस्सा भूमि है जो इस खसरा में पश्चिमी साईड में स्थित कटाणी रास्ता के पास स्थित है तथा जिसे आगे इसमें वादगत भूमि के नाम से पुकारा गया है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 13 तेरह वादगत खेत को अलग—अलग काश्त करते आ रहे है। सभी का अलग अलग कब्जा काश्त है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 13 तेरह का खान—पान, रहन—सहन सब अलग—अलग है। वादगत खेत की खातेदारी राजस्व रेकार्ड में संयुक्त अंकित होने के कारण वादी को सरकारी लाभांश प्राप्त करने में भारी परेशानीयां उठानी पड रही है। इस कारण वादी के लिए आवश्यक हो गया कि वोह अपनी संयुक्त खातेदारी भूमि में सें अपनी हिस्सा भूमि का विधिवत विभाजन करवाकर अपने हिस्से की खातेदारी भूमि राजस्व रेकार्ड में पृथक अंकित करवाकर लगान का विभाजन कराये जिसके लिए वादी को कानूनी अधिकार प्राप्त है। वादी ने दिनांक 10.12.2021 को प्रतिवादीगण से मौखिक रूप से निवेदन किया कि वादगत खेत का विधिवत विभाजन करवाकर अपने—अपने हिस्से की खातेदारी भूमि पृथक पृथक राजस्व रेकार्ड में अंकित कराये। प्रतिवादीगण साफ इनकार हो गये तथा प्रतिवादीगण ने वादी को ऐलानीयां तोर पर धमकियां दी कि वोह अच्छी किश्म की भूमि पर जबरन बलपूर्वक कब्जा करके वादी को बेदखल करेंगे तथा किसी भूमाफियों को विक्रय करके अच्छी किश्म की भूमि का कब्जा करवाकर ही रहेगे, जबकि ऐसा करने का प्रतिवादीगण को कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रतिवादीगण अपने गैरकानूनी कृत्य में सफल हो गये तो वादी को न केवल अपूर्तिय क्षति होगी बल्कि भयंकर असुविधा भी होगी। इसलिए वादी के लिए आवश्यक हो गया कि वोह न्यायालय से चिर निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्त कर प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 13 तेरह को वर्जित कराये कि वोह वादी को अपनी हिस्सा भूमि से जबरन बलपूर्वक कब्जा करके बेदखल नहीं करें और जब तक विधिवत रूप से विभाजन नहीं हो जाता तब तक किसी हिस्से या अंश को विक्रय, हस्तांतरण, रहन आदि नहीं करें ओर ना ही वादी के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की बाधायें, रूकावटें आदि स्वंय पैदा करें या किसी अन्य से करवायें। वादगत खेत वादी के संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त उपयोग उपभोग का होने से वादी को वादाधार प्राप्त है। प्रतिवादीगण की ऐलानियां धमकियां से वादी को वाद हेतुक प्राप्त है। वाद में राजस्थान सरकार आवश्यक पक्षकार है। राजस्थान सरकार के विरूद्ध वाद पेश करने से पूर्व राजस्थान सरकार को 2 दौ माह की अवधि का धारा 80(2) सी. पी.सी. के तहत कानूनी नोटिस दिया जाना आवश्यक है। लेकिन मामला आवश्यक प्रकृति का होने के कारण एंव प्रतिवादीगण द्धारा वादी को जबरन बेदखल करने की ऐलानियां धमकियां दिये

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

Scanned by CamScanner

जाने के कारण वाद तुरन्त पेश किया जाना आवश्यक हो गया है। इस कारण राजस्थान सरकार को 2 दो माह की अवधि का नोटिस दिया जाना संभव नहीं है। वादी द्वारा दावा पेश करने के लिए अलग से धारा 80(2) सी.पी.सी. के तहत न्यायालय से अनुमति लेकर यह दावा पेश किया जा रहा है। वाद वादी संयुक्त खातेदारी भूमि का विभाजन एंव चिर निषेधाज्ञा डिक्री प्राप्ति का है। वादगत खेत रोही ग्राम ढढेरू भांभूवान तहसील बीदासर जिला चूरू में स्थित है। इस कारण इस वाद की सुनवाई करने का श्रवणाधिकार एंव क्षैत्राधिकार श्रीमानजी के न्यायालय को प्राप्त है। आदि–आदि अंकित कर वाद पत्र पेश किया।

वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरीये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 बावजुद तामिल उपस्थित नहीं। इस कारण प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वाद में पेरोकार राज ने राजहित नहीं होना अंकित किया है। वादी द्वारा साक्ष्य वादी में अपना शपथ पत्र पेश किया गया। जो शामिल पत्रावली किया गया। बहस सुनी गई। वकील वादी ने वाद को डिक्री करने का निवेदन किया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादी की ओर से साक्ष्य में पेश शपथ–पत्र का अवलोकन किया गया। वादी ने वादगत भूमि में पश्चिमी साईड में स्थित कटाणी रास्ता के पास स्थित अपनी हिस्सा भूमि का विभाजन करने का निवेदन किया है। वादी के वाद को डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–: आदेश :–

अतः वादी के वाद को इस प्रकार से अंतिम डिक्री किया जाता है कि वादगत भूमि रोही ग्राम ढढेरू भाम्भूवान के खसरा संख्या 636 तादादी 3.5157 हेक्टेयर में वादी की 21/139 हिस्सा भूमि जो वादगत भूमि के पश्चिमी साईड में स्थित कटाणी रास्ता के चिपती पूर्वी साईड में स्थित है का विभाजन किया जाकर अलग खातेदारी में दर्ज कर लगान का विभाजन करने का आदेश तहसीलदार बीदासर को दिया जाता है। तदनुसार अंतिम डिक्री जारी हो। अंतिम डिक्री की पालना हेतु तहसीलदार बीदासर को लिखा जावे। खर्चा पक्षकार स्वंय वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 01-04-2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

Scanned by CamScanner